



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील सं. अपील संख्या 1825/2013 जिला जयपुर

उनवान मै. अखिल सेल्स एजेंसी, जयपुर. बनाम सीटीओ प्रतिकरापवचन जोन 3, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.03.15	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मदनलाल, सदस्य</u> <u>श्री मनोहरपुरी, सदस्य</u></p> <p>वकील प्रार्थी श्री अलकेश शर्मा एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री रामकरण सिंह उपस्थित।</p> <p>श्री अलकेश शर्मा ने निवेदन किया कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी एमनेस्टी स्कीम, वर्ष 2015 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेने के क्रम में प्रस्तुत अपील को विद्वद्ध करना चाहते हैं। इस बाबत् श्री शर्मा ने प्रार्थना पत्र भी पेश किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभागीय प्रतिनिधि ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।</p> <p>अतः श्री अलकेश शर्मा एडवोकेट का अपील को विद्वद्ध करने का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये विद्वद्धाअल खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर</p>	